ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-139/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय, हरिद्वार** के माह 02/2017 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सन्तोष कुमार गुप्ता व पवन कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री साहिल जोली(वरि0 लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 11.02.2021 से 18.02.2021 तक श्री के0 एल0 भट्ट (वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   (अ) कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय , हरिद्वार के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुम्भ मेले मे आए हुए एवं स्थानीय मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

   (ब) सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन व अनुश्रवण इकाई के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

   (स) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
प्रारम्भिक अवशेष	43.73	15.21	40.57	12.07	67.83
प्राप्तियाँ					
केंद्रान्श	2.89	3.33	10.21	6.07	5.9
राज्यान्श	323.68	28.95	424.61	371.01	410.93
अन्य (अधिष्ठान/निगम)	9.99	34.89	43.27	77.66	22.81
कुल उपलब्ध राशि	380.29	82.37	518.65	466.81	507.47
व्यय	365.08	41.81	506.57	398.98	478.72
अंतिम अवशेष	15.21	40.57	12.07	67.83	28.75

*माह 01/2020 तक

इकाई को बजट शासन (राज्य सरकार, उत्तराखण्ड) एवं भारत सरकार से (केंद्रान्श) प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यूजर चार्जेज (CPS) का उपयोग कार्यालय के पूर्व-अनुमोदित संचालन ब्यय को वहन करने हेतु किया जाता है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखंड, देहरादून
4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)
6). चिकित्सा अधिकारी
7). अन्य स्टाफ

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019, 09/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो -ब</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> खराब/मरम्मत योग्य उपकरणों पर कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण इनके लागत का सतत अवमूल्यन होने के कारण राजकीय धन की हानि का प्रकरण।

चिकित्सालय में नैदानिक जाँच हेतु मशीन/चिकित्सीय उपकरण अति आवश्यक होते है जिनकी सहायता से रोग की वास्तविक पहचान कर रोगियों को चिकित्सा उपचार/औषधि निर्धारित किया जाता है। चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेला चिकित्सालय, हरिद्वार की लेखापरीक्षा (02/2021) के दौरान मशीन तथा चिकित्सीय उपकरणो के संबंध मे इकाई से प्राप्त जानकारी तथा अभिलेखो से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित चिकित्सीय उपकरण एवं मशीन खराब/अयोग्य थे।

क्र॰स॰	उपकरण का नाम	संख्या
1	सी॰ आर्म मशीन	01
2	एनेस्थीशिया ट्राली	01
3	ऑटोक्लेव	02
4	बैड साइड मॉनिटर	08
5	एक्स-रे मशीन	01
6	फुली ऑटोएनालाईजी	01
	कुल	14

इस के अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरण /मशीन मरम्मत योग्य थे।

क्र॰स॰	उपकरण का नाम	संख्या
1	टी॰एम॰टी॰	01
2	सेंट्रल मॉनीटर	01
3	वेंटिलेटर	03
4	डिफ्रीब्रीलेटर	01

चिकित्सालय मे मरम्मत योग्य मशीन/ चिकित्सीय उपकरण के बन्द पड़े होने के कारण लाभार्थियो को जांच हेतु अन्य चिकित्सालय मे रेफर किए जाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि चिकित्सालय मे तकनीकी स्टाफ के स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत स्टाफ भी बराबर है अर्थात मशीन संचालकों के पद पूर्णतः भरे हुए हैं। मशीनों के अप्रयुक्त रहने की स्थिति मे उनके लगातार अवमूल्यन होने के कारण राजकीय धन की हानि भी हो रही है।

उपरोक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे अवगत कराया कि चिकित्सक नहीं होने के कारण खराब उपकरणों को रिप्लेस करने अथवा मरम्मत कराने से भी कोई लाभ नहीं है। भविष्य मे कार्यवाही की जाएगी। इकाई के उत्तर संतुष्टिजनक नहीं है क्योंकि उपकरणों का लगातार अवमूल्यन होने के कारण राजकीय धन की हानि हो रही है। इस प्रकरण मे त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है क्योंकि बिना उपकरणों/मशीनों को क्रियान्वित किए चिकित्सालय को स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहेगा जबकि आवर्ती स्थापना ब्यय सतत होने के कारण राजकीय धन निरुद्देश्य ब्ययित होता रहेगा।

अतः खराब/मरम्मत योग्य उपकरणों पर कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण इनके लागत का सतत अवमूल्यन होने के कारण राजकीय धन की हानि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो -ब</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा उपलब्ध MOD(multi-option deposit) सुविधा का उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप इकाई को रु. 5.36 लाख के ब्याज (गैर-राजस्व) की हानि का प्रकरण।

Funds shall be released by the Ministry to the SHS Bank Account for NRHM. The concerned Programme Officer on receipt of the sanction order from the Ministry shall move a specific proposal for release of funds to their respective sub accounts at state and district level in accordance GFR, to the Mission Director. The State FMG shall ensure that funds are released within ten working days of the receipt of the proposal. The Funds at State Level are managed by State PMSU and at district level by District PMSUs. Few important points w.r.t bank accounts are as follows:

Bank accounts of SHS and DHS should be kept in Savings Bank Accounts of the Scheduled Commercial Bank of RBI.

As per the instructions of MoHFW, there would be single bank account for Parts (A)- RCH, Part (B) -Additionalities under NRHM and Part (C) - Immunization. This account is referred as the Main Account of SHS and DHS.

इकाई के वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि -

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दोनो कार्यक्रमों को आच्छादित करने हेतु दो बैंक खाते (Current Account) खोले गए हैं, जबकि मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार के निर्देश के अनुसार Parts (A)- RCH, Part (B) -Additionalities under NRHM and Part (C) - Immunization हेतु केवल एक बचत खाता खोला जाना था। बचत खाता नहीं खोले जाने के परिणामस्वरूप ब्याज राशि से कार्यालय को वंचित रहना पड़ा।
2. चिकित्सा प्रबंधन समिति (CPS) के खातों मे संचित धनराशि को बचत खाते की जगह चालू -खाता मे रखे जाने से सामान्य ब्याज की हानि हो रही है।

उपरोक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बिन्दु को भविष्य मे अनुपालन हेतु नोट किया। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा उपलब्ध MOD(multi-option deposit) सुविधा का उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप इकाई को रु. 5.36 लाख के ब्याज (गैर-राजस्व) की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो -ब</u>

<u>प्रस्तर:03</u> असंतुलित मानव-संसाधन-प्रबंधन (चिकित्सकों की पद रिक्त होने तथा सहायक पद पूर्णतः भरे होने की स्थिति) के परिणामस्वरूप मरीजों को अन्यत्र रेफर किए जाने के कारण चिकित्सालय को स्थापित करने का उद्देश्य अपूर्ण रहने का प्रकरण।

चिकित्सा अधीक्षक इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवम द्वितीय स्तर की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है। आवश्यक सूचनाए/ आकड़ें महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित करना है, तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवण करना है।

हरिद्वार शहर धार्मिक नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अवसरों पर आते हैं। यहाँ पर देश के विभिन्न स्थानो से पुण्यलाभ प्राप्त करने हेतु धर्मभीरुओं का आवागमन होता है। अत्यधिक भीड़ के कारण इस स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी अधिक होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

चिकित्सा अधीक्षक, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की कुल स्वीकृत 69 पदों के सापेक्ष 26 पद रिक्त थे। चिकित्सा अधिकारी के 24 स्वीकृत पद के सापेक्ष 14 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त फिजीशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ , बाल रोग विशेषज्ञ इत्यादि के पद पूर्णतः रिक्त थे (विस्तृत सूची संलग्न)। इन चिकित्सा अधिकारियों के पद कार्यालय के प्रभावी एवं दक्ष संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन पदों के रिक्त होने की स्थिति मे रोगियों को विवशतः दूसरी जगह रेफर करना पड़ता है। इसके विपरीत चिकित्सालय मे सहायक पद (यथा सिस्टर, उपचारिका इत्यादि) के पद पूर्णतः भरे हुए हैं। चिकित्सकों की पद रिक्त होने तथा सहायक पद पूर्णतः भरे होने की स्थिति मानव-संसाधन-प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूर्णतः असंतुलित स्थिति है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सालय मे कार्य-भार (work-load) ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। अतः चिकित्सकों के पद रिक्त होने की स्थिति मे सहायक स्टाफ का समुचित उपयोग किया जाना संभव नहीं है तथा इससे चिकित्सालय को स्थापित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।

उपरोक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे अवगत कराया कि अपने उत्तर मे अवगत कराया कि विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव मे संबन्धित मरीजों को निकट के जिला चिकत्सालय मे रेफर करना पड़ता है तथा चिकित्सकों से संबन्धित मशीन/उपकरण भी अप्रयुक्त रहने से खराब हो जाते हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु पत्राचार किया गया है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः असंतुलित मानव-संसाधन-प्रबंधन (चिकित्सकों की पद रिक्त होने तथा सहायक पद पूर्णतः भरे होने की स्थिति) के परिणामस्वरूप मरीजों को अन्यत्र रेफर किए जाने के कारण चिकित्सालय को स्थापित करने का उद्देश्य अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय , हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डा0 एच0 के0 सिंह	चिकित्सा अधीक्षक	02/2017 से 20.07.2017 तक
2	डा0 राजेश गुप्ता	चिकित्सा अधीक्षक	21.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक राजकीय मेला चिकित्सालय, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी-1) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-1